



क्रमांक:- LU2012/JDA/2019-20/100360

दिनांक 01/02/2021

विषय:- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर- कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मानने के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-


रवि बाल भारती शिक्षा समिति जयपुर सहित श्री रामलाल जाट पुत्र श्री किशन जाट निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

- ऊपर गणित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **संस्थानिक(स्कुल)** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नेवटा, सांगानेर (जयपुर)	रवि बाल भारती शिक्षा समिति	1802, 1735, 1747	0.55
कुल				0.55

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुदेख, सत्यक रूप से अनुप्रमाणित शक्तिपूर्ति बंधपत्र और सार्वजनिक, को-सैफ, अभिव्यास योजना, सार्वजनिक नहरा और अन्य सुसंगत दरतावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दरतावेजों/कचनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्रधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग शास्त्र योजना/शिक्षण योजना/स्कीम के अनुसार है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 और तत्पश्चात बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिभूति अधिकार निर्वहित करने भूमि का **संस्थानिक(स्कुल)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अधिभूति अधिकारों को उक्त भूमि का **संस्थानिक(स्कुल)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वहित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख के उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नम्बरेरिडिथ व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्रधिकारी पर सत्य विधि, नियमों, विनियमों का उप-विधि के अनुसार आवेदन के लिए, स्थानीय प्रधिकारी के व्ययनक्रमीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, स्वधरितित प्रीनियम, नगरीय विचारण के साथ ही विनिरिडिथ अन्य प्रभारों के निष्पेक्ष और सुसंगत विधि के अधीन अभिव्यास योजना के अनुमोदन के परमाप्त, स्थानीय प्रधिकारी द्वारा सत्यक आवेदन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्रधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिभूति निष्कर्षों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालन की जायेगी।

यह आदेश अखेरतहसीली के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 01-02-2021 को पारित किया गया है।


प्रधिकृत अधिकारी (जीन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर